कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

पत्रांक : 238 / सा.नि.वि. / 2019–20 दिनांकः– 20/12/19

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर की सीमान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन की प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निम्न निर्माण कार्यो की निविदांए आमन्त्रित की जाती हैं:–

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य+18% GST	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	ऊपर कोर्ट में कोतवाली परिसर में सार्वजनिक शौचालय 5सीट का निर्माण कार्य।	567252	12000	708/	60 दिन
2	तहसील परिसर में सार्वजनिक शौचालय 5सीट का निर्माण कार्य।	567252	12000	708/	60 दिन
3	तहसील परिसर में पिंक शौचालय 5सीट का निर्माण कार्य।	567252	12000	708/	60 दिन
4	विकास भवन के परिसर में सार्वजनिक शौचालय 5सीट का निर्माण कार्य।	567252	12000	708/	60 दिन

1. सशर्त निविदांए मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
2. उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदांए कॉलम संख्या 5 में अंकित शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद, बुलंन्दशहर, कार्यालय में 28-12-2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं।
3. निर्माण कार्यो की निविदायें कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, में रखे गये निविदा बाक्स में दिनांक 30-12-2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक डाली जा सकेंगी। जो तद्दिनांक को ही सायं 3.30 बजे पालिका कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोली जायेंगी।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
5. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख / शर्ते पालिका कार्यालय के सिविल अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस / कार्यसमय में देखी जा सकती हैं।
6. प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, मूल रूप में संलग्न करनी अनिवार्य होगी, छाया प्रति किसी भी दशा में मान्य न होगी। धरोहर राशि जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक होनी अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र पर धरोहर राशि का विवरण भी अंकित करना होगा।
7. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
8. निर्माण कार्यो की निविदा में वर्णित सामग्री पर व्यापारकर एवं अन्य कर आदि की कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी तथा जिस सामग्री पर रॉयल्टी देय होगी उसके संबंध में प्रपत्र एमएम–11, देना अनिवार्य होगा। अन्यथा पर्यावरण (खनन) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 0145 / नौ–9–2013 दिंनाक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन करायें जाने अनिवार्य होगें। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार / संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
10. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
11. शासनादेश संख्या 609 / नौ–9–2007–249ज / 06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100 / –रूपयें के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होंगा।

नोटः–उक्त निविदांए बैवसाईट http://WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN पर देखी जा सकती हैं।

उपजिलाधिकारी (सदर)
प्रभारी अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर
13/12/19

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

E: Nirman-Tender List/ 12.12.2019work/work tender